न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
272/2024	05.06.2024	02-05-2025

1. सीताराम पिता औंकारलाल माली, निवासी पुर हाल निवासी 12–डी–24, 25 नया बापुनगर भीलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षी

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री भैरूलाल बापना उपस्थि।
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पुर पटवार क्षेत्र पुर प्रथम तहसील–भीलवाड़ा में नया खाता सं. 2596 में मुझ प्रार्थी के अधिकार आधिपत्य की आराजी सं. 363 रकबा 1.6186 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रार्थी का नाम भूल व गलती से गंगाराम पिता ऊंकार जी माली दर्ज हो गया है जिसकी दुरूस्ती के लिये यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। इस आराजी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2073 प्रस्तुत है। मुझ प्रार्थी के सभी राजकीय रेकार्ड आधारकार्ड पेनकार्ड राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में मुझ प्रार्थी का नाम सीताराम पिता ओंकार लाल जी माली ही लिखा है जो सही है। इसके साथ ही मुझ प्रार्थी के बापूनगर भीलवाड़ा में स्थित मकान पर लगे बिजली के कनेक्शन का बिल भी सीताराम पिता ओंकार जी माली के नाम से आता है जो सही है। नगर परिषद भीलवाड़ा के वार्ड सं. 3 के पार्षद ने भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी कर यह प्रमाणित किया है कि ओंकारलाल जी के एक पुत्र गंगाराम माली को पूरे पुर गांव में सीताराम माली के नाम से भी जानते हैं जो दोनों नाम इनके ही हैं और इनको दोनों ही नाम से जाना जाता है। गंगाराम माली उर्फ सीताराम माली के आधारकार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि मैंने देखें हैं जो सीताराम पिता ओंकार लाल माली के नाम से बने हैं जो सही है। गंगाराम पिता ओंकार लाल माली एवं सीताराम पिता ओंकार लाल माली दोनों एक ही व्यक्ति हैं और ये दोनों ही नाम इनके ही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वादग्रस्त आराजी सं. 363 रकबा 1.6186 हैक्टेयर में मुझ प्रार्थी का नाम गंगाराम पिता ओंकार लाल माली लिख दिया जाने के कारण इस खाते में स्थित भूमि के बारे में बैंक अथवा किसी संस्था से कृषि ऋण लेने व इस खाते में अंकित भूमि को विक्रय रहन करने में परेशानी हो रही है और ऋण के अभाव में इस भूमि का मैं प्रार्थी सही तौर से उपयोग उपभोग व विकास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भूमि को रहन रखने व विक्रय करने आदि में आधारकार्ड से मिलान किया जाता है और आधारकार्ड में मुझ प्रार्थी का नाम सीताराम पिता ओंकार लाल माली लिखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उक्त खाता सं. 2596 में अंकित आराजी सं. 363 रकबा 1. 6186 हैक्टेयर भूमि के खाते में मुझ प्रार्थी का नाम गंगाराम पिता ओंकार लाल माली के बजाय सीताराम पिता ओंकारलाल माली दुरूस्त कराया जावें।

अतः प्रार्थनापत्र है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार क्षेत्र पुर प्रथम तहसील–भीलवाड़ा में स्थित नया खाता सं. 2596 में अंकित आराजी सं. 363 रकबा 1.6186 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम गंगाराम पिता ऊंकार लाल माली के बजाय सीताराम पिता ऊंकार लाल माली दुरुस्ती द्वारा दर्ज कराया जावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार भीलवाडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 1007 दिनांक 23.04.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम पुर में स्थित आराजी नम्बर 363 रकबा 1.6186 हैक्टैयर में खातेदार गंगाराम पुत्र उंकार 1/12 जाति माली सा0 देह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के सभी राजकीय रेकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में स्वयं का नाम सीताराम पिता औकांकर लाल अंकित है। नगर परिषद भीलवाडा के वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार औंकारलाल जी के पुत्र गंगाराम माली है जिसे गांव में सीताराम माली के नाम से भी जानते है। ग्राम पुर के आराजी नम्बर 363 रकबा 1.6186 हैक्टैयर भूमि में दर्ज गंगाराम पुत्र उंकार लिख दिया जाने के कारण भूमि उपयोग रहन, विक्रय, ऋण आदि में परेशानी हो रही है। ग्राम पुर के मजमे आम से जानकारी करने पर जाहिर आया है कि उंकार लाल के एक पुत्र का नाम गंगाराम है। गंगाराम का ही दूसरा नाम सीताराम है अर्थात् गंगाराम उर्फ सीताराम, उंकारलाल का पुत्र है। सीताराम का बोलता नाम गंगाराम होने से राजस्व रेकार्ड में गंगाराम चला आ रहा है। सह खातेदार गट्टु पुत्री उंकार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर गंगाराम के बजाय सीताराम कर दिया जाने से सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी सीताराम पुत्र औंकारलाल माली के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिलजी का बिल की प्रति प्रस्तुत की तथा नगर परिषद भीलवाडा के वार्ड न0 3 के पार्षद गंगाराम ही सीताराम होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में सह खातेदार गट्टु पुत्री उंकार एवं कैलाश पिता बद्रीलाल माली, सुरेश पिता पूरणमाली के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्रों का अध्ययन किया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के सरकारी रेकार्ड के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिलजी का बिल में सीताराम माली नाम अंकित है किन्तु प्रार्थी का घर का नाम गंगाराम होने के कारण राजस्व रेकार्ड में भी गंगाराम माली दर्ज कर दिया गया, सह खातेदार गट्टु पुत्री उंकार एवं कैलाश पिता बद्रीलाल माली, सुरेश पिता पूरणमाली द्वारा भी राजस्व रेकार्ड में गंगाराम पुत्र उंकार के बजाय सीताराम पुत्र उंकार अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी के सभी पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम सीताराम पिता औंकारलाल माली अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार क्षेत्र पुर प्रथम तहसील–भीलवाड़ा में नया खाता सं. 2596 में की आराजी सं. 363 रकबा 1.6186 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गंगाराम पुत्र उंकार के बजाय गंगाराम उर्फ सीताराम पुत्र उंकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 02.05-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा